वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

(Formerly Uttakhand Technical University Established By Act no. 415/2005 by Uttarakhand Gvoenment)

Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddhoiwal, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel. No. 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांकः—1725/VMSBUTU/2024 **महत्वपूर्ण** दिनाँकः 27,अगस्त,2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध एवं परिसर संस्थान,
वी0मा0सिं0भ0उ0त0वि0वि0,देहरादून।

विषयः— परास्नातक पाठ्यक्रमों को समयवद्ध रूप से संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पूर्व प्रेपित पत्र संख्या—914/VMSBUTU/2024 दिनांक 14.06.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व परिसर संस्थानों में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों को यथा प्रभावी Ordinance में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

इस क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परास्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत सत्र 2023—24 के समस्त अन्तिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण औपचारिकतायें **दिनांक 15 सितम्बर, 2024** तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संदर्भित छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2024—25 में Ex-Student/Re-Admission जो भी प्रभावी हो, के अनुसार 30 सितम्बर,2024 तक पंजीकरण करते हुए Ordinance के प्राविधानों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण करने का अवसर अनुमन्यता की दशा में उपलब्ध हो सकेगा। यह भी सूच्य है कि संदर्भित तिथि तक पाठ्यक्रम पूर्ण न करने वाले 2023—24 सत्र के परास्नातक पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष के छात्रों को 2024—25 शैक्षणिक सत्र के छात्रों के साथ उपाधि की अर्हता पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा के अन्तर्गत होने की दशा में ही होगी।

कृपया उक्त का अनुपालन करते हुए अपने संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्रों को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि संस्थान में समस्त प्रवेशित छात्रों को पाठ्यक्रमवार प्रभावी Ordinance के प्राविधानों व समय—समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में छात्रों व संस्थान को किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति का सामना ना करनो पड़े।

यह भी संज्ञान में आया है कि संस्थान स्तर से विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/सूचनाओं/पत्रों को छात्रों/शिक्षकों/कर्मचारियों को अवगत कराने बावत न तो परिचालित किया जाता है और न ही इन्हें संस्थान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है। जिससे विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/सूचनाओं /पत्रों की जानकारी संबंधित Stake Holders को समयान्तर्गत नहीं हो पाती है।

अतः आपसे यह भी अनुरोध है कि विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/सूचनाओं/पत्रों को आवश्यक रूप से छात्रों/शिक्षकों/कर्मचारियों के मध्य परिचालित कराने एवं संस्थान नोटिस बोर्डो पर प्रमुखता से प्रदर्शित कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ताकि सभी को समयान्तर्गत जानकारी प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(डॉ0वी0के0पटेल)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून।
4. वेब मास्टर, वी0मा0सिं0भ0,उ0प्रौ0वि0वि0देहरादून को इस निर्देश के साथ कि संबंधित पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड तथा सभी संस्थानों को प्रेषण हेतु।
5. नोडल आफिसर, यू0एम0एस0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाइल।

(डॉ0वी0के0पटेल)
परीक्षा नियंत्रक